कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक डी-78/कृषि निवेश/बी-250(टी0सी0) दिनांक लखनऊ दिसम्बर, 26 2016

1. समस्त सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक,
   सहकारिता , उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
   जिला सहकारी बैंक लि० उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिला प्रबन्धक
   पी.सी.एफ. उत्तर प्रदेश ।

विषय—कृभको द्वारा आपूर्तित डीएपी के मूल्यों में कमी विषयक।

वरिष्ठ राज्य विपणन प्रबन्धक, कृभको लखनऊ ने अपने पत्रांक : 3504 दिनांक 14.12.2016 द्वारा सूचित किया है कि कृभको डीएपी (18:46) में दिनांक 15.12.2016 से दरों में कमी की गयी है। नई दरें निम्नानुसार संसूचित की जाती है जो दि0 15.12.2016 से प्रभावी होगीं :-

(धनराशि रु0 मे)

क्र0	विवरण	डीएपी 18:46
1	समितियों को आपूर्ति दर प्रति मै0टन	22320.00
2	कृषकों को आपूर्ति दर प्रति मै0टन	22800.00
3	कृषकों को फुटकर बिक्री दर प्रति 50 किग्रा बैग	1040.00

कृभको द्वारा आपूर्ति निम्न शर्तो के अधीन की जायेगी:-

1. दिनांक 14.12.2016 की रात्रि को पीसीएफ के बफर गोदाम एंव समितियों के गोदामों में अवशेष (डेफर्ड पेमेन्ट एंव सामान्य) एंव कृभको एकाउन्ट की अवशेष डीएपी एवं प्रीपोजीशनिंग स्टाक पर भी उपरोक्त दरें लागू होगी। दि0 14.12.2016 की रात्रि को अवशेष संभार पर कृभको द्वारा अन्तर मूल्य की धनराशि पीसीएफ/समितियों को भुगतान की जायेगी। समिति स्तर पर उक्त सत्यापित उर्वरक सम्भार के सापेक्ष समितियों को केडिट की जाने वाली धनराशि इस शर्त के साथ देय होगी कि आपूर्तित उर्वरकों के सापेक्ष कृभको को समिति और बैंक द्वारा धनराशि का भुगतान कर दिया जाये। पूर्व भण्डारण योजना की उर्वरक के सापेक्ष प्राप्त होने वाली अन्तर मूल्य की धनराशि पीसीएफ द्वारा इस हेतु खुले उर्वरक सी0सी0एल0 खाते में जमा की जायेगी।
2. दिनांक 15.12.2016 से उपरोक्त संशोधित/कमी की दरें प्रभावी हो गयी हैं। अतः पीसीएफ बफर गोदामों एंव समितियों पर कृभको की डीएपी का दि0 14.12.2016 के अवशेष संभार का सत्यापन तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा सत्यापित स्टाक की सूचना क्षेत्रीय प्रतिनिधि कृभको को प्रेषित करते हुए सत्यापन प्रेषण की सूचना मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एंव संयुक्त निबन्धक के माध्यम से दि0 26.12.2016 तक इस कार्यालय को प्रेषित की जाये। मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एंव संयुक्त निबन्धक 31.12.2016 तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे कि उनके मण्डल में सभी अर्ह समितियों को अन्तर मूल्य की धनराशि प्राप्त हो गयी है।

3. कृभको द्वारा समितियों को आपूर्ति एफओआर आधार पर की जायेगी। इसके लिए परिवहन मद में समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
4. एम0एफ0एम0एस0 के अन्तर्गत एकनॉलेज करने पर रू0 50.00 प्रति मै0टन की दर से कृभको द्वारा समितियों को भुगतान किया जायेगा।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।

परिपत्रांक : 81-78 /कृषि निवेश/ बी–250(टी0सी0) दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ राज्य विपणन प्रबन्धक, लखनऊ को इस आशय से कि अन्तर मूल्य की धनराशि सम्बन्धित समितियों के खाते में केडिट करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेब साईट में अपलोड करने एंव सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
9. प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ0नि0)
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।